कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा की स्थिति में (बाढ़/सुखाड़) नालन्दा जिला में पशुओं के सुखा चारा (गेहूँ भुसा, नेवारी कुट्टी) क्रय हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 22.06.2017 12 बजे दिन तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी एवं उसी दिन 3 बजे अपराह्न में खोली जाएगी। चारा का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आपूर्ती आदेश आवश्यकतानुसार स पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा तथा भुगतान भी उन्ही के स्तर से किया जाएगा।

1. निविदा के साथ रूपये 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) अग्रधन के रूप में ट्रेजरी चालान या पोस्ट आफिस सेंविंग पासबुक या राश्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित कराकर जमा कराना अनिवार्य है।
2. संस्थान के गोदाम अथवा चिन्हित स्थानों तक पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवा कर प्रति क्विन्टल दर अंकित रहना अनिवार्य है
3. निविदाताओं को आपूर्ती की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमुना के रूप में, जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में मुहरबंद कर, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
4. आपूर्ती की जाने वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किए गये नमुना के आधार पर नहीं होने पर आपूर्ती नहीं ली जाएगी।
5. आपूर्ती आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ती नहीं देने पर आपूर्ती आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7. आपूर्ती आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ती करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक को आपूर्ती आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जिला पशुपालन पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताऐ निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
नालन्दा
30/5/17